

<p>तारीख दिवस</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज दिनांक 19/2/22</p>
<p>20-2-25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली बास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-3-25 को पेश हो।</p>
<p>27 <sup>3</sup>/<sub>25</sub></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली बास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23-4-25 को पेश हो।</p>
<p>23 <sup>4</sup>/<sub>25</sub></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली बास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-5-25 को पेश हो।</p>
<p>22-5-25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली बास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18-8-25 को पेश हो।</p>
<p>18-8-25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली बास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18-8-25 को पेश हो।</p>

31.08.2025  
 (दिनांक 18/8/25)  
 अग्रिम कार्यवाही हेतु

दिनांक 18.08.2025 को इकजाई पेशी होने से पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी मय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र विद्वा का पेश निवेदन किया है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर न्यायालय हाजा में विचाराधीन खसरा नम्बर 809 रकबा 0.57 हैक्टर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित भूमि के दक्षिण तरफ से 0.17 हैक्टर



हनुमानगढ़ जिला देहरादून

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

26/11 - 138/2023

न  
अ  
ह

भूमि का खातेदारन देशराज यादव व हरिराम यादव ज...  
उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण है वादी अर्जुन लाल के हक में  
उपपंजियक के यहां उपरिथत होकर विक्रय लेख तस्दीक  
करवाये तथा उक्त विकत भूमि का 0.17 हैक्टर भूमि में आने  
जाने हेतु 20 फुट चौडा रास्ता का उक्त प्रतिवादीगण  
खातेदारान राजरू सरकार को सम्पर्ण करने तथा  
प्रतिवादीगण खातेदारान वादी के हक में उक्त वादपत्र  
खारीज होने के पश्चात नकल खारीज प्राप्ति के 15 दिवस  
में रजि. विक्रय लेख नहीं करवाने पर प्रतिवादीगण के खर्चे  
से रजि. विक्रय लेख नहीं करवाने पर प्रतिवादीगण के खर्चे  
से रजि. विक्रय लेख जरिये न्यायालय से करवाने का  
अधिकार होगा तथा उक्त खसरान नम्बर 809 रकबा 0.57  
हैक्टर में उक्त विकित भूमि के पश्चात शेष रही भूमि से  
वादी का उसके भाईयों वारिसान को कोई ताल्लुक किसी  
किस्म का ना तो पहले था ना ही वर्तमान में है तथा ना ही  
भविष्य में रहेगा तथा प्रतिवादीगण अपनी सुविधा अनुसार  
इसका उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतन्त्र रहेगें आवेदन  
बाबत उक्त वादपत्र विद्गा करते हुए खारिज किए जाने का  
निवेदन किया हैं। उक्त वादपत्र को विद्गा किए जाने में  
वकील प्रतिवादीगण ने भी अपनी सहमति दी हैं। उभय  
पक्षकारान की सहमति के आधार पर उक्त वादपत्र को विद्गा  
कर खारीज किए जाने कि स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)  
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)